

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अजअदालतसहायककलक्टर एवं उपखण्डअधिकारीसंगरिया

जयनवीर मान बनाम अवतार सिंह वर्मा
किस्ममुकदमा:-वादपत्र १३/२ RTA नम्बर 203/2023



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहु कमकातानीलमें जारीहुए
14/7/2023	अधिवक्ता वादी की ओर से वाद-पत्र अन्तर्गत धारा १३/२ RTA पेश किया। सिगेंदार से रिपोर्ट हो चुकी है। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन करवाई जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 19-5-23 को पेश हो। पुनश्च इतना लिखने पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 मध्य राजीनामा अं.आ.23 नियम 3 CPC पेश हुआ। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 2 राज पेंरोकार उप०। जवाबदावा पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के मुताबिक राजीनामा चक 22 AMP खाता सं. 4/4 जमावंदी सम्वत् 2070-73 आराजी प्रतिवादी सं. 1 अवतार सिंह पुत्र बन्वंत सिंहके नाम दर्ज चक 22 AMP पं. नं. 117/166 मु. नं. 3 कि. नं. 11 ता 13 व 14 ता 20 कुल 1.265 है. श्रुति का खातेदार काश्तकार घोषित करवावे को इस्तुआ की। प्रतिवादी सं. 1 व वादी जो पिता-पुत्र हैं, उब्घेने अपना राजीनामा अं.आ.23 नियम 3 CPC के तहत पेश किया है। मुताबिक वाद पत्र एवं राजीनामा उक्त दावा स्वीकार किया जाता है कि चक 22 AMP के खाता सं. 4/4 जमावंदी सम्वत् 2070-73 आराजी में से	

Handwritten signature and initials.

प्र.स. अवतार सिंह पुत्र बलवंत सिंह के नाम दर्ज
आराजी में से वादी अथमनवीर मान पुत्र अवतार
सिंह जाति अटसिख सा. शाहीनी को प. नं. 117/166
मु. नं. 3 कि. नं. 11 ता. 3 व 19 ग 20 कुल 1.265 ई०
भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त
खाता से प्रती. सं. 1 का उक्तानुसार दिसा कम किया
जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया
जाने के आदेश दिए जाते हैं।

तदस्वीलकार राजस्व संग्रहिया, पालना करें।
तथा राजस्व रिकार्ड जमावंदी में उक्तानुसार तबीत
प्रतिष्ठ जरिये नामांतरण दर्ज करें।

निर्णय कैम्प पंचायत नुकरा (PCKS/MRC
2023) में सुनाया/लिखाया गया। पगावली कैम्पला
शुमार नम्बर से कम की जाकर दखिल दफ्तर
की जावे। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा
पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।



19/5/23
प्रशासन गांवों के संग्रह अभियान
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल, Nukers